

**Form-I**  
**(for linear projects)**  
**Office of the District Collector**  
**Kangra at Dharmshala**

No. **366** /DRA


Dated: **03/02/2020**

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0-22-20 Hectares** situated in Mohal Soldha, Tehsil Jawali Distt. Kangra, of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD (Jawali Division) for construction of link road from Safeda Mor to Dhiman Basti (KM 0/0 to 0/500) in the state of H.P in Tehsil Jawali falls within the jurisdiction of Nurpur Forest Division.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0-22-20** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexures. As per report received from Gram Panchayat, Soldha, and SDO (C) Jawali there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal group and pre agriculture communities.

  
District Collector  
Kangra at Dharamshala

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT KANGRA (H.P.)**

**Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights )Act (FRA), 2006.**

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Raghav Sharma, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 28-01-2020 at 11.00 AM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Soldha, claiming rights in 0-22-20 hectare forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Jawali, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_ No claim filed by anyone \_\_\_\_\_

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

OR

As informed by SDO (Civil) Jawali, no application was received from Soldha Gram Sabha claiming rights in 0-22-20 hectare forest area.

Place : Dharamshala

No : 367 /DRA Dated : 03/02/2020

  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Forest Rights Committee

**\*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.**

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C) JAWALI DISTT, KANGRA H.P

To

The Deputy Commissioner

Kangra at Dharmshala (H.P)

No 37 SDK/J/ Dated:- 10-01-2020

Subject:-- (1) Certified regarding implementation of section 3 sub- section 2 of forest Right Act, 2006 (Forest Dweller certificate (FRA).

Sir

The one Forest Case has been prepared by Executive Engineer Jawali Division HPPWD Jawali. The case scrutinized in the Sub Divisional committee. You are therefore requested the necessary certificate may please be issued.

Sr. No	Name of Road.
1.	Construction of link Road from safeda mohar to Dhiman Basti k.m. 0/0 to 0/500 under H.P.Forest Division Nurpur in tehsil Jawali District Kangra (H.P.)

  
Sub Divisional Officer(C)  
Jawali Distt.Kangra(H.P)





राजस्व विभाग

संख्या:-.....11.5.4...../का0 का0 /2019 दिनांक 17-12-2019

कार्यालय नायव तहसीलदार उप तहसील कोटला जिला कांगडा (हि० प्र०)

Email:- tehkot-kan-hp@gov.in L.L.01892-236071, Mob. 9816453100

प्रेषित,

उप मण्डलाधिकारी (ना०)

ज्वाली

जिला कांगडा (हि० प्र०)

विषय :-

Regarding Diversion of forest land for the Construction of road under F.R.A, 2006 .

महोदय,

उपरोक्त विषय सहायक अभियन्ता लो० नि० वि० मण्डल कोटला से दस्ती प्राप्त प्रकरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि महाल व मौजा सोहलदा उप तहसील कोटला जिला कांगडा में भूमि खसरा न० 1176/1 व 1182/1 किता 2 रकबा तादादी 00.22.20 है० मी० किस्म गल बिला सिफत मलकियती सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा वन विभाग तावे वर्तन वर्तनदारान रिजर्व पूल में प्रस्तावित सडक सफेदा मोड से धीमान वस्ती कि० मी० 0/0 से 500 कि० मी० तक बनाई जानी हैं जिस बारे वाछित औपचारिकता वावत F.C.A-1980 पूर्ण करके मूल मिसल प्रस्तावना तैयार करके आगामी आदेश हेतु सेवा में प्रेषित हैं।

सलग्न - मूल फिल

भवदीय,

नायव तहसीलदार  
उप तहसील कोटला

पृष्ठाकन संख्या

प्रतिलिपि:-सेवा में

दिनांक

(1) सहायक अभियन्ता लो० नि० वि० उपमण्डल कोटला को सूचनार्थ प्रस्तुत करके अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायलय में I.A No 3840 Civil Appeal No 202/1995 में Next Date of hearing 01.04.2019 के बाद क्या आदेश हुए हैं, की प्रति उपलब्ध करवाये यदि उपलब्ध हो।


नायव तहसीलदार  
उप तहसील कोटला

## रिपोर्ट पटवारी व फॉरेस्ट कानूनको

श्री गजनी

प्रमाणित किया जाता है कि मुलाखत  
पटवारी रिपोर्ट व राजस्व कागजात की मौजूदगी पर  
जो कर दानवीन करन पर पाया गया कि महाल  
व मौजा सोलदा आ तहसील कोटला तहसील जवाली  
जिला काँटाड़ा (विष्णुपुर) में नम्बर स्वस्ता 1176/वू 1188/  
किताब रकबा 0-22-20 हेक्टर में प्रस्तावित सड़क सिफा  
साइ के धीमान वस्ती किताब नूमे 0/500 तक काम  
जोन पर कौटु गी जनजाती व अनुसूचित जनजाती  
(Scheduled Tribes and other Traditional Forest  
Dwellers) प्रमाणित नहीं होते हैं तब Non availability  
of Non Forest land for Compensatory Afforestation  
व Non Availability of Non Forest land for C/o  
राष्ट्र के लिए सुरक्षित उपलब्ध न है। रिपोर्ट आगामी अक्षर  
कामवाही के आदेश का मेलन का पेश है।

  
Puro  
Kotla

  
P. K. Kothari

  
Tahsil  
Kotla



6

OFFICE OF THE SDO CIVIL), JAWALI  
DISTRICT KANGRA (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of JAWALI Sub- Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. SALEEM AZAM, SDO(Civil)JAWALI on 10-01-2020 at 11:00AM AM/PM at JAWALI (Place) in which the application(s) claiming rights in 00-22-20 Hect. forest areas under FRA,2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of SOLDHA Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Recommended/not Recommended)</u>
1. <u>A.E HPPWD</u>	<u>Recommended</u>
2. <u>Kotla</u>	
3.	
Place: <u>JAWALI</u>	SDO (Civil) <u>JAWALI</u> / Chairperson
Date : <u>10-01-2020</u>	<u>Jawali, Distt. Kangra (H.P.)</u> Sub-Division level Committee,
	<u>                    </u> Sub-Division.

अनुसूचित जनजाति और अन्यपरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....सोलधा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....8.....

दिनांक.....6.01.2018

वन अधिकार समिति ग्राम सभा.....सोलधा.....की बैठक आज दिनांक 6.01.18 को 11:00 बजे स्थान.....श्री 96 पट्टाला सोलधा.....की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....सोलधा.....गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत U-52 सोलधा-8 जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें..... विभाग\*\* द्वारा लिंक एंड सर्वे भेज के निमाण के हो प्रो पर्यटन लिये .....खसरा न० 0-22-20 किता..... रकवा वर्गमी०/हेक्ट. स्थित महाल ..... वन भूमि की उपयोग की मन्जूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिये दावे हेतु प्राप्त हुये गाँववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>NO CLAIM</u>	<u>U-52 Solधा-C.8</u>	

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गाँव वासी का नाम
1	<u>NO CLAIM</u>

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है। या

U-52 Solधा-C.8 जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान.....सोलधा.....

ग्राम सभा  
**Panchayat Secretary**  
**Gram Panchayat Solधा**  
**Dev. Block Nagrota Surian**

दिनांक.....06.01.2018

\* ग्राम वासी /ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिये आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

1 अश्वनी कुमार शोभी उत्तम चन्द (अध्यक्ष) सोलधा

2 दिनेश सिंह वन विभाग गडि

**प्रधान**  
**वन अधिकार कमेटी सोलधा**  
**पंचायत सोलधा (जवाली) हि.प्र.**

**सचिव**  
**वन अधिकार कमेटी सोलधा**  
**पंचायत सोलधा (जवाली) हि.प्र.**



अनुसूचित जनजाति और अन्यपरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या...8...गणपूर्ति.....

दिनांक 06-01-2018 ग्राम सभा सोलधा

.....की बैठक आज दिनांक 6/1/18 को 11:00 बजे स्थान सोलधा में श्री / श्रीमति ..... की अध्यक्षता में की गई जिसमें सोलधा गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खसरा न० ..... किता रकबा 6-22-20 हैक्ट/ वर्गमी० स्थित महाल सोलधा व खसरा न० ..... किता रकबा ..... हैक्ट स्थित महाल ..... जंगल/वन क्षेत्र में ( जिसमें ..... विभाग .. द्वारा ..... के निर्माण के लिये ..... हैक्टयर वन भूमि की ( उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है ) वन अधिकारों के लिये दावे हेतु प्राप्त हुये गाँववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया

क्र०स० \*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा

1 NO CLAIM U-52 Solaha-Ch.

2

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुये इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है

क्र०स० \*पात्र गांव वासी का नाम

1 NO CLAIM

2

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U-52 Solaha-Ch. जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान 06/01/18.....

दिनांक 06/01/18.....



\*ग्राम वासी /ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिये आवेदन किया है।

इसका प्रमाण Rulam Ka

.. प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान  
वन अधिकार कमेटी सोलधा  
पंचायत सोलधा (जवाली) डि.प्र.

सचिव  
वन अधिकार कमेटी सोलधा  
पंचायत सोलधा (जवाली) डि.प्र.

Rulam Ka



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा सोलाधा  
विकास खण्ड नगरोत्त सुर्जिया जिला बंगाल (हि0प्र0)  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 23.10.18

मणपूर्ति 8/9 /

प्रस्ताव संख्या 4

विषय सोलाधा के निर्माण हेतु लिमिंगी सफेदा मोड़ से चिमन वस्ती तक जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-22-20 हैक्टयर वन भूमि उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु। विभाग/संस्था को सहायक अभियन्ता लो0ने0वी0

ग्राम सभा सोलाधा की बैठक आज दिनांक 23.10.2018 को 11.00 बजे स्थान पंचायत घर सोलाधा पर हुई जिसमें सहायक अभियन्ता लो0ने0वी0 विभाग/संस्था को लिमिंगी सफेदा मोड़ से चिमन वस्ती तक के निर्माण हेतु 0-22-20 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह से के बाट सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-22-20 हैक्टयर वन भूमि को लिमिंगी सफेदा मोड़ से चिमन वस्ती तक के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सोलाधा सहमति दी जाती है।

स्थान सोलाधा  
दिनांक 23.10.18

अधीकृत हस्ताक्षर  
ग्राम सभा

Panchayat Secretary

Gram Panchayat, Soladha.

Dev. Block Nagrota Surian